

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

|   |   |
|---|---|
| 7. परियोजना/स्कीम का स्थान  | माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पंथापीडी हल्का बाहन मार्ग का विस्तार किमी0 9.400 से किमी0 16.400 तक चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य। |
| i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र  | उत्तराखण्ड राज्य सरकार  |
| (ii) जिला   | पिथौरागढ़।  |
| iii) वन प्रभाग  | प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग पिथौरागढ़।  |
| iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )   | 4.335 है0   |
| v) वन की कानूनी स्थिति  | राज्य भूमि  |
| vi) हरियाली का घनत्व  | 2   |
| vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए   | मोटर मार्ग के निर्माण में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिनकी वैज्ञानिक नाम की सूची संलग्न है।  |
| viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।   | भू-वैज्ञानिक की आख्या/रिपोर्ट संलग्न है तथा रिपोर्ट से सहमत है।   |
| ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी  | अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। (1 km)  |
| x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाए)                        | नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)   |
| xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं   | नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)   |
| यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।  |   |
| xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)   |
| 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।                       | मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रदर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है।   |
| 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।                   | नहीं (वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।)   |
| 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-  | संलग्न है।  |
| i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।                             | संलग्न है।  |

|   |   |
|---|---|
| ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।  | 1:50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है।   |
| iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।   | बाज, काफल, उतीस, बुरांश आदि   |
| iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिष्यय।  | -   |
| v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। | चयनित प्रजातियां प्रबन्ध की दृष्टिकोण से उचित चयनित की गई है तथा हस्ताक्षरित है। संलग्न है। |
| 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः  | संलग्न है।  |
| उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)  | संलग्न है।  |
| 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।   | निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट। 7169.00 वर्ग किमी                                    |
| i. जिला का वन क्षेत्र।  | 215750.56 है  |
| ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।  | 913.824 है0   |
|   | 913.824 है0   |
| iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण  |   |
| (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि   | 2186.00 है  |
| (ख) वनेत्तर भूमि पर ..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति   | 495.00 है0  |
| (क) वन भूमि पर  | 1112.00 है0   |
| (ख) वनेत्तर भूमि पर   | 495.00 है0  |
| 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।   | प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित।<br>निम्नी डा. 25/06/2020<br>अथवा 25/06/2020 |

दिनांक 25-6-2020

स्थान - पिथौरागढ़

हस्ताक्षर

नाम :- विनय भागव

सरकारी मोहर

Photo Copy Attested

Pardey  
AE17/108/12

Girish Kishor Pardey,

सहायक अभियन्ता ए

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

अस्कोट ( पिथौरागढ़ )

25/06/2020  
विनय भागव  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट